रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2016, शनिवार/ अग्रहायण 6—अग्रहायण 12, 1938

No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2016, SATURDAY/ AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.215.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

(i) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम) भर्ती नियम, 1985 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम)	06* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-10	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति द्वारा:- केंद्र/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल 7 में अथवा समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास आर्थिक अपराधों/कंपनी लेखाओं/वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के अन्वेषण/राज वित्तीय अधिनियमों से संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R. 215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (FCRA) Recruitment Rules, 1985, namely:-

(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (FCRA), Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (FCRA), Recruitment Rules, 1985, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (Foreign Contribution Regulatory Authority)	06*(2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the Posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	**Deputation:-** Officers under Central/State Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With three years regular service in posts in Level-7 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) possessing three years experience in investigation of economic offences/ company accounts/ commercial audit/ dealing with fiscal Acts. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held

				immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.216.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय सूचना सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1993 और गृह मंत्रालय, पुस्तकालय सूचना सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
पुस्तकालय और सूचना सहायक	03* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' , अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप–खंड , अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा। **टिप्पण :1** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: जी हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	33.33% प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन द्वारा और 66.67% सीधी भर्ती द्वारा

कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण :2** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है)/आमेलन]: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो: तथा (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 में ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री हो, पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पदधारियों पर केवल आमेलन के लिए विचार किया जाएगा। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:-** 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (पुस्तकालय का भार साधक) गृह मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	संयुक्त प्रणाली अर्थात, प्रोन्नति + प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का पे मैट्रिक्स के साधारण लेवल में एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिये वेतन मैट्रिक्स में साधारण लेवल बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.216.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs , Library and Information Assistant, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1993 and the Ministry of Home Affairs, Library and Information Assistant, (Group-'C' Posts) Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library Information Assistant, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the PAY MATRIX— The number of post, its classification, Level in the PAY MATRIX attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. Disqualification. —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribe, Ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	03* *(2014) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: 1.Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institution; and 2. two years experience in a Library under the Central Government or a State Government or autonomous or statutory organization or public sector undertaking or Universities or recognized research or educational institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.	Age: No Educational Qualification: Yes	2 years for direct recruits and promotees	33.33% by promotion/deputation (including short term contract)/absorption and 66.67% by direct recruitment	**Composite Method [Promotion plus deputation (including short term contract)/absorption)]:-** Officers under the Central Government or a State Government or a Union Territory or public sector undertaking or recognized research institutions or Universities or Semi Government or statutory or autonomous organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six year service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level in the Pay MATRIX or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Department Library Clerk in

Note:1 The qualification are relaxable at the discretions of the Staff Selection Commission Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note:2** The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority or reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection. Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the posts reserved for them.				the Level-2 in the Pay MATRIX with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Library & Information Science from a recognized University or institute shall also be considered along with outsiders and in case such person is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, it shall be treated as having been filled by deputation (including short term contract)/absorption. **Note 2:** The officials from Central Government and State Government shall only be considered for absorption. **Note 3:** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the Pay MATRIX extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common LEVEL in the Pay MATRIX and where this benefit will extend only for the post (s) for which that LEVEL in the Pay MATRIX is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Director /Deputy Secretary, (Administration), MHA : Chairman 2 Director or DS (in-charge of Library), MHA : Member 3. Director or Deputy Secretary, MHA : Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary While appointing an officer on Composite method i.e. promotion Plus deputation (including short term contract)/absorption.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 1997, तथा गृह मंत्रालय (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) 2012 का अधिक्रांत करते हुए, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ --**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' , राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति द्वारा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त संगठनों जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में या समतुल्य पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो: या (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में या समतुल्य पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की हो: और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समतुल्य डिप्लोमा; (ii) किसी स्थायी पुस्तकालय में पर्यवेक्षी हैसियत से पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव।	**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:-** 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (समन्वय) गृह मंत्रालय(पुस्तकालय प्रभारी) - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय- सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण :1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण :2** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय:** (i) पुस्तकालय में क्रियाकलापों को कंप्यूटरीकृत करने का अनुभव। (ii) मंत्रालय द्वारा संचालित विशिष्ट विषयों, जिनको प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा, में वृत्तिक अनुभव। **टिप्पण :** बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसी विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और यदि उस पद पर उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। [प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.217.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Library and Information Officer) Recruitment Rules, 1997 and the Ministry of Home Affairs (Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2012 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Library and Information Officer), Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in the PAY MATRIX—** The number of post, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc**.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer	01*(2012) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion or deputation/transfer to be made
(7)	(8)	(9)	(10	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By composite method Promotion /Deputation (including short term contract)	**Deputation (including short term contract)**:- Officers under Central or State Governments or Union Territories or Autonomous organizations including Universities : (a) (i) Holding analogous post(s) on regular basis; or (ii) With five years' regular service in Level-10 in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) With six years' regular service in Level-8 in the Pay Matrix or equivalent; or (iv) With seven years regular service in Level-7 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience-

				Essential : (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent Diploma in Library science from a recognized University. (ii) Five years professional experience in a supervisory capacity in a Library of Standing. **Note 1 :-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :-** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** (i) Experience of computerizing library activities (ii) Professional experience in the specific subjects handled by Ministry to be specified at the time of each recruitment. **Note:-** Departmental Assistant Library & Information Officer with seven years regular service in Level-7 in the Pay Matrix will also be considered along with outsiders and in case, he/she is selected, the post will be deemed to have been filled up by promotion. [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:- 1. Director/ Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs : Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Coordination), Ministry of Home Affairs [in-charge of Library] : Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs : Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.218 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, रोकड़िया भर्ती नियम, 1999 और गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 तथा गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय में रोकड़िया पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
रोकड़िया	01* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप –खंड , अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
<u>आवश्यक:</u> (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या लोक उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन रोकड़ और लेखा कार्य हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव: **<u>टिप्पण :1</u>** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **<u>टिप्पण :2</u>** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या लोक उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए:- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) या आमेलन पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 पर या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष नियमित सेवा की हो: या (iii)जिनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 पर तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 के पद पर कम से कम दस वर्ष की सम्मिलित सेवा है, जिसमें से वेतन मैट्रिक्स में लेवल—5 के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा हो, (iv)जिनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 या समतुल्य पदों पर 10 वर्ष की नियमित सेवा है: जो सचिव प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त हैं या रोकड़ और लेखा कार्य हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को ही आमेलन के लिए विचारित होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल में एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिये वेतन मैट्रिक्स पर लेवल बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।	3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय-सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Cashier) Recruitment Rules, 1999) , the Ministry of Home Affairs (Cashier) Recruitment (Amendments) Rules, 2010 and the Ministry of Home Affairs (Cashier) Recruitment (Amendments) Rules, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cashier in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Cashier), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in the PAY MATRIX—** The number of post, its classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**. —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Saving. —** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cashier	01*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- (i) Degree of a recognized university, and (ii) Three years' experience in handling cash and accounts works in Central or State Governments or Union Territories or Recognized Research Institutions or Universities or Public Sector undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.	By Deputation (including short-term contract) / Absorption failing which direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compositions	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract)/absorption: Officers under Central or State Governments or Union territories or Recognized Research Institutes or Universities or Public Sector undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:- (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in Level-5 in the Pay Matrix or equivalent after appointment thereto on regular basis; or (iii) with ten years' combined service in the posts in Level-5 in the Pay Matrix , and in	**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:-** 1.Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs : Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affair : Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs : Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (including short-term contract) / Absorption.

Level-4 in the Pay Matrix, out of which at least three years' service in the post in Level-5 in the Pay Matrix; or (iv) With ten years' regular service in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent; who should have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or possessing three years' experience of handling cash and accounts work. **Note 1:** The officials from Central and State Government shall only be considered for absorption. **Note 2**: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 01.01.2016 (The date from which the revised pay structure based on 7^{h} Central Pay Commission Recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than One pre-revised scale of pay into one grade with a common Level in the Pay Matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Level in the Pay Matrix is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.219.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (सांप्रदायिक सद्भावना सेल) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान अधिकारी (सांप्रदायिक सद्भावना सेल) गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (सांप्रदायिक सदभावना सेल) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान अधिकारी (सांप्रदायिक सदभावना सैल)	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' , राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं होता ।	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। नोट 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप – खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
<u>आवश्यक:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/समाजिक कार्य/मानव विज्ञान/सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों/अध्ययनों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण/संकलन तथा उससे संबंधित प्रतिवेदनों के प्रारूपण में दो वर्ष का अनुभव: **टिप्पण :1** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण :2** अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/अंतरण:- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 अथवा समतुल्य वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए): 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव(सांप्रदायिक सदभावना सैल) - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव (आंतरिक सुरक्षा प्रभाग)- सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय – सदस्य नोट:सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को स्थायी किए जाने से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। तथापि यदि, आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.219 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Research Officer (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1985, namely:-

(1) These rules may be called the Research Officer (Communal Harmony Cell), Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Research Officer (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1985, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer (Communal Harmony cell)	01*(2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Not applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.)	**ESSENTIAL:** (i) Masters degree in Sociology/ Social work/ Anthropology/ Economics with Statistics from a recognized University or equivalent. (ii) Two years experience in Collection/Compilation and analysis of date relating to socio-economic surveys/studies having bearing on National Integration and Drafting of reports therewith. **Note: 1** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note:2** The Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, in case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable	Two years for direct recruits

	Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Transfer on Deputation/ transfer, failing which by direct recruitment.	**Transfer on Deputation/ transfer :-** Officers under Central/State Government/ Union territories : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With five years regular service in posts in Level-6 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering of Confirmation) :- 1. Joint Secretary (Admn.) : Chairman 2. Director / Deputy Secretary (Communal Harmony Cell) : Member 3. Director / Deputy Secretary (Internal Security Division) : Member 4. Under Secretary (Administration), MHA : Member **Note:** The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of Union Service Public Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.220.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 अथवा समतुल्य वाले पदों पर छः वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 पर या समतुल्य पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हों:- (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य है, और (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है अथवा जिनके पास कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/सक्रिया अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986, namely:-

(1) These rules may be called the Research Assistant (Work Study), Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Assistant (Work Study)	02*(2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation:-** Officers under Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years regular service in posts in Level-5 in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) With ten years regular service in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Possessing Degree of a recognized University or equivalent; and (ii) completed successfully the Basic Management Services Course of Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training from any other recognized institution or have at least one year experience in the application Work Study / Organization & methods / Analytical / Statistical /Operations Research or other management research techniques. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.221.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ --** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' , (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स-6 में ऐसे वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा को आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की सहायता करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016, वह तारीख जिसमें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा की वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित पे मैट्रिक्स के सदृश लेवल में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति:-** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पे-मैट्रिक्स के लेवल-6 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (समन्वय) गृह मंत्रालय(पुस्तकालय प्रभारी) - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हैं:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री : (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पुस्ताकलय विज्ञान में स्नातक डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा। (iii) किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा **टिप्पण:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R. 221.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assistant Library and Information Officer, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the PAY MATRIX— The number of post, their classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Library and Information Officer	*01(2012) *Subject to variation as per workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted , Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Library Information Assistant with five years regular service in Level-6 in the Pay Matrix. **Note 1:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. . **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th Pay Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the Pay MATRIX extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:-** Officers under the Central Government- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis : OR (ii) With five years regular basis in posts in	**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion:-** 1. Director or Deputy Secretary (Administration), MHA. -Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Coordination), Ministry of Home Affairs [in-charge of Library] - Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Level-6 in the Pay Matrix or equivalent ; and (b) Possessing the following Educational Qualifications & Experience:- (i) Degree of a recognized University. (ii) Bachelor's Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University/Institute. (iii) Two years professional experience in a Library of standing or Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute. **Note :** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.222.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय लिपिक	01* (2010) * कार्यभार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' ,	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2	अचयन	18 से 25 वर्ष [केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल

	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अराजपत्रित अननुसचिवीय			करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है।] **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
7	8	9	10
लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं।	**प्रोन्नति**: ऐसा वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उसमें पांच वर्ष सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक/उप सचिव प्रभारी (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. पुस्तकालय के प्रभारी अवर सचिव - सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा.I) - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.222.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment Rules, 1994, namely:-

(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment Rules, 1994, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library Clerk	01*(2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay Matrix	Non-Selection	18 to 25 years, [relaxable upto 40 years (up to 45 years in respect of Scheduled Caste / Scheduled Tribes candidates) in case of Govt. servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government]. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i) Matriculation or equivalent from a recognized institution. (ii) Certificate in Library Science from a recognized institution.	Age : No Educational Qualification : Yes	2 years.	By promotion failing which by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.	**Promotion:-** Senior Library Attendant with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Deputation:-** Officers under Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director/ Deputy Secretary in-charge of Admn. : Chairman 2. Under Secretary in-charge of Library : Member 3. Under Secretary (Ad.I) : Member	Not applicable

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.223.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) भर्ती नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

(1) इन नियमों का नाम अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) भर्ती नियम, 1986 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों हेतु 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन : 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **आवश्यक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। **वांछनीय :** राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव। **सशस्त्र बल कार्मिक के लिए :** कनिष्ठ कमीशन ऑफिसर की पंक्ति के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। ऐसे चयनित व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में, जो पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ही सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं, उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी (सिविल पदों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)। [प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि की संविदा सहित)/स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।	**पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के पुष्टि के संबंध में विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति:-** 1. उप सचिव/निदेशक, (प्रभारी-प्रशासन, गृह मंत्रालय : अध्यक्ष 2. उप सचिव/उप निदेशक/राजभाषा विभाग : सदस्य 3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग : सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशा. ।), गृह मंत्रालय : सदस्य	जब कोई अधिकारी आमेलन द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए विचार के क्षेत्र में हो और प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन पर नियुक्त किए जाने के लिए विचार के क्षेत्र में कोई सशस्त्र बल कार्मिक हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R. 223.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, namely:-

(i) These rules may be called the Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Officer (Implementation)	01* (2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces Personnel re-employed	Deputation/absorption For Armed Forces personnel Deputation/Re-employment	**Deputation/ promotion:-** 1. Officers under Central Government:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in their parent cadre/department; or (ii) With five years' regular service in Level-6 in the Pay MATRIX or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level. **Desirable:-** One years experience in Official Language Act, 1963 (19 of 1963) or policy. **For Armed Forces Personnel:** For Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possess the educational

				qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/ transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of Armed Forces Personnel re-employed:- 1. Deputy Secretary/Director, in-charge of Admn., MHA : Chairman 2. Deputy Secretary / Deputy Director, Department of Official Language : Member 3. Deputy Director (Implementation), Department of Official Language : Member 4. Under Secretary (Ad.I), MHA : Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption and when armed forces personnel is in the field of consideration for appointment on deputation/re-employment.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.224 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, उप सम्पादक भर्ती नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

(i) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, उप सम्पादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, उप-सम्पादक भर्ती नियम, 1980 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप सम्पादक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं होता	अधिक से अधिक 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में शिथिलनीय) **टिप्पणी** :- भारत में स्थित उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप स्थित उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु का निर्धारण करने की निर्णायक तारीख होगी।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य : (i) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर हिंदी विषय सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिंदी माध्यम से किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। **(ii)** संपादन और प्रकाशन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी सं. 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी सं. 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों में से अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है। वांछनीय: (i) संस्कृत का ज्ञान (ii) किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान (iii) मूल लेख लिखने की योग्यता।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ स्थानान्तरण द्वारा : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने पे मेट्रिक्स में लेवल 6 में अथवा समतुल्य वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास कॉलम 8 में उल्लिखित सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:-** 1. संयुक्त सचिव, राजभाषा - अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव/अवर सचिव तरजीह तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से - सदस्य 4. निदेशक/उप- सचिव, राजभाषा विभाग – सदस्य **टिप्पणी :** किसी सीधी भर्ती वाले के स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई अनुमोदन के लिए आयोग के पास भेजी जाएगी और यदि आयोग उस कार्रवाई का अनुमोदन करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके किसी एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की फिर से बैठक होगी।	सीधी भर्ती करते समय, किसी अधिकारी का स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.224 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor, Recruitment Rules, 1980, namely:-

(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Sub-Editor, Recruitment Rules, 1980, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sub-Editor	01*(2010) *subject to variation depend on workload	General Central Service, Group 'B' , Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants) **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
ESSENTIAL:- (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at degree level. OR Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at degree level. OR Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi Medium and English as a subject at degree level. OR Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subject at degree level. (ii) 3 years' experience of editing and publication work. **Note No. 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note No. 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, in case of candidates belonging to the Scheduled Casts or Scheduled Tribes. If any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities processing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	2 years	By transfer on deputation/Transfer failing which by direct recruitment. .

DESIRABLE:- (i) Knowledge of Sanskrit. (ii) Knowledge of a modern Indian Language. (iii) Ability to write original articles.			

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
By transfer on deputation/Transfer: - 1. Officers under the Central Government :- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in their parent cadre; Or (ii) With five years regular service in Level-6 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8. (The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Considering confirmation) :-** **The Departmental Promotion Committee will be as follows:-** 1. Joint Secretary, Deptt. of Official Language - Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Admn.), MHA - Member 3. Deputy Secretary/Under Secretary preferably from Scheduled Caste or Scheduled Tribe - Member 4. Director/Deputy Secretary, Department of Official Languages - Member **Note:** The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commissions a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.	The Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment, selecting an officer for appointment on transfer and amending/ relaxing any of the provision of these rules.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.225.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

(1) इन नियमों का नाम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तकनीकी सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1986 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6क)
तकनीकी सहायक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार 35 वर्ष तक 5 वर्ष के लिए शिथिलनीय) **टिप्पण** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजे जाने के लिए कहा जाए।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : 1. भौतिक शास्त्र और गणित विषयों सहित बी.एससी. 2. कम्प्यूटर चलाने या भाषा प्रयोगशाला या स्वर-विज्ञान	लागू नहीं होता	2 वर्ष (सीधी भर्ती वालों के लिए)	अल्पकालिक संविदा/स्थानान्तरण सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रयोगशाला में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव 3. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। **टिप्पण 1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन अयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए, इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो लिखित रूप में कारण बताकर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
अल्पकालिक संविदा/स्थानांतरण सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :- (क) (i) सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों, या जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 वाले पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और (ii) जो कॉलम 7 में निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (iii) (उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्षों से अधिक नही होगी।)	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :-** 1. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय (प्रभारी-प्रशासन - अध्यक्ष 2. निदेशक (तकनीकी)/राजभाषा विभाग – सदस्य 3. राजभाषा विभाग से एक उप सचिव - सदस्य 4. अवर सचिव, गृह मंत्रालय (प्रशासन के प्रभारी) – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.225.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant, Recruitment Rules, 1986, namely:-

(i) These rules may be called the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Technical Assistant, Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay MATRIX	Whether selection post or Non-selection post	Age- limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)
Technical Assistant	01* (2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the Pay Matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of appointment through employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. B.Sc. with Physics and Mathematics as subjects. 2. Three years experience of Computer Operation of	Not applicable	2 years (for direct recruits only)	Transfer on deputation including short term contract/ transfer failing which by direct recruitment.

working in Language Laboratory or Phonetics Laboratory. 3. Working knowledge of Hindi. **Note:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note:-** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Transfer on deputation including short term contract/Transfer:- Officers of the Central Government offices located in Delhi/Delhi University/ Jawaharlal Nehru University:- (a) (i) Holding analogous posts or with five years regular service in Level-4 in the Pay MATRIX; and (ii) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7. (iii) (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years).	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1. Director/Deputy Secretary, MHA (in-charge of Admn.) -Chairman 2. Director (Technical), Department of Official Language - Member 3. A Deputy Secretary from Department of Official Language -Member 4. Under Secretary (in-charge of Admn.), MHA - Member	Not applicable.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.226.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भर्ती नियम, 1987 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम प्रूफ रीडर, राजभाषा, गृह मंत्रालय, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1987 में दी गई अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)
प्रूफ रीडर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक पांच वर्ष के लिए शिथिलनीय) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों को छोड़कर) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजे जाने के लिए कहा जाए।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अनिवार्य: मान्यताप्राप्त या समकक्ष विश्वविद्यालय की डिग्री जिसमें अंग्रेजी और हिंदी विषय रहे हों और प्रूफ रीडिंग की कला में निपुण हों। **वांछनीय:** (i) इस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव। (ii) संस्कृत का ज्ञान। (iii) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित अनुवाद कार्य में 3 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्व निर्णय से योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कारण लिखित में रिकार्ड कर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी अपने स्व निर्णय से अनुभव के संबंध में छूट दे सकता है यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन अयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।	लागू नहीं होता	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण:-** केन्द्रीय सरकार के अधिकारी: - (क) (i) जो समतुल्य पदों पर हो या वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 में 5 वर्ष से नियमित सेवा में हो; तथा (ii) कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों; (iii) (प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है?	भर्ती के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए) :- 1. उप सचिव/निदेशक (प्रभारी-प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक (अनुसंधान)/राजभाषा विभाग - सदस्य 3. एक अवर सचिव, अच्छा हो यदि वह अनूसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो, बाद में नामित किया जाएगा - सदस्य 4. अवर सचिव (प्रभारी-प्रशासन), गृह मंत्रालय -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Proof Reader, Departmental of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1987, namely:-

(i) These rules may be called the Proof Reader, Departmental of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Proof Reader, Departmental of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1987, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proof Reader	01* *(2010) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the Pay Matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years for Govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of appointment through	No

					employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Essential: A Degree with English and Hindi as subjects from a recognized University or equivalent and conversant with the art of Proof reading. **Desirable:** (i) Practical experience in the field; (ii) Knowledge of Sanskrit; (iii) Completed the 3 months training course in translation work conducted by the Central Translation Bureau. **Note:1** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note:2** The Qualifications regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates	Not applicable	2 years (for direct recruits only).	Transfer on deputation/ transfer failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation/transfer :-** Officers of the Central Government : (a) (i) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in Level-4 in the Pay MATRIX; and (ii) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 8. (iii) (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years).

belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation):- 1. Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.) : Chairman 2. Director (Research), Department of Official Language : Member 3. An Under Secretary preferably from Scheduled Castes or Scheduled Tribes community to be nominated later : Member 4. Under Secretary (in-charge of Admn.), MHA : Member	Not applicable

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.227.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, (न्याचार अधिकारी) भर्ती नियम, 1996 और गृह मंत्रालय (न्याचार अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में न्याचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ --** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, (न्याचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों में निहित कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2	(3)	(4)	(5)	(6)
न्याचार अधिकारी	01* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 या समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुके हो। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य : (ii) न्याचार या जनसंपर्क कार्य या दोनों में दो वर्ष का अनुभव:।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा, को वेतन मैट्रिक्स में एक साधारण स्तर वाले एक ग्रेड में एक संशोधन पूर्व वेतनमान माना जाएगा और वहां यह लाभ केवल ऐसे पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में लेवल बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.227.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, (Protocol Officer) Recruitment Rules, 1996 and in the Ministry of Home Affairs, (Protocol Officer) Recruitment (Amendments) Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the PAY MATRIX— The number of the said post, classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No persons, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Protocol Officer	*01(2012) * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation / Absorption

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<u>Deputation/Absorption:</u> Officers under the Central/State Government: A. (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) With 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 in the Pay Matrix, or equivalent in the parent cadre or department; and B. Possessing the following education qualifications and experience:- (I) Degree of a recognized university or equivalent, (II) Two years' experience of Protocol or Public Relation work or both. (The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2016 (The date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service	Not applicable	Consultation with the UPSC is necessary while appointing an officer on deputation/ absorption basis.

rendered in the corresponding LEVEL in the Pay MATRIX extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common LEVEL in the Pay MATRIX, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that LEVEL in the Pay MATRIX is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.228.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल) भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्वेषक (साम्प्रदायिक सद्भाव सेल)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पे मेट्रिक्स में लेवल-6	लागू नहीं	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने	**आवश्यक** : समाज विज्ञान विषयों में से एक विषय के रूप में अर्थात् समाज शास्त्र/समाज कार्य/मानव विज्ञान/अर्थशास्त्र/ भूगोल/सांख्यिकी सहित गणित विषय के साथ डिग्री।	लागू नहीं होता	केवल सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**वांछनीय :** 1.(क) "आवश्यक" अर्हताओं में उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या टाटा समाज विज्ञान संस्थान जैसे किसी अन्य संस्थान से समाज सेवा या विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2. सरकारी विभागों में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रसंस्करण और विश्लेषण करने में दो वर्ष का अनुभव या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने/अध्ययन में दो वर्ष का अनुभव। 3. देश में साम्प्रदायिक सद्भाव से संबंधित समस्याओं की सामान्य जानकारी।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 या समतुल्य स्तर में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 अथवा समतुल्य स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में यथा विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए) :-** 1. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) - अध्यक्ष 2. उप सचिव/निदेशक, (प्रभारी, साम्प्रदायिक सद्भाव सेल), गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशा. I), गृह मंत्रालय - सदस्य 4. अवर सचिव (अधिमानतः अन्य मंत्रालय/विभाग से) - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Investigator (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1993, namely:-

(1) These rules may be called the Investigator (Communal Harmony Cell), Ministry of Home Affairs Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Investigator (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 1993, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Selection-cum-Seniority or Selection by Merit	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Investigator (Communal Harmony Cell)	02*(2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 40 years for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment through the Employment Exchange the crucial date shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Essential: Bachelor's Degree with one of the Social Science as a subject, viz. Sociology/Social work/ Anthropology/Economics/ Geography/Mathematics	Not applicable	2 years for direct recruits only	On Deputation or absorption failing which by direct recruitment.	**On Deputation or absorption:-** Officers under Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular

with Statistics. **Desirable:** **1.** (a) A Post Graduate Degree in any of the subject mentioned in 'Essential' qualifications, or (b) Post Graduate Diploma in Social Service or Science from a recognized University or any other Institute like Tata Institute of Social Science **2.** Two years experience in possessing and analyzing Statistical data in Government Departments or two Years experience in conducting socio- economic Surveys/studies. **3.** General acquaintance of problems Relating to Communal Harmony in the Country.				basis; or (ii) With six years regular service in Level- 5 in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) With ten years regular service in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent; and (b) Possessing qualifications as prescribed in column 8. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation):- 1. Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.) : Chairman 2. Deputy Secretary / Director (in-charge of Communal Harmony Cell), MHA : Member 3. Under Secretary (Ad.I), MHA : Member 4. An Under Secretary (preferably from other Ministry/ Department) : Member	Not applicable.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.229 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में तकनीकी अधिकारी (मॉनीटरिंग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ --**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, तकनीकी अधिकारी (मॉनीटरिंग) (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों में निहित कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन में मेट्रिक्स लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी (मॉनीटरिंग)	01* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप संभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
<u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/गणित/ सांख्यिकी/ऑपरेशन अनुसंधान में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री; (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण में तीन वर्ष का अनुभव। **<u>वांछनीय:</u>** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपदा प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा। (ii) राहत/बाढ़/दुर्भिक्ष, राहत कार्यों से संबंधित मामलों को संभालने का अनुभव। **<u>टिप्पण :1</u>** अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **<u>टिप्पण :2</u>** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति ((आईएसटीसी)/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
<u>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन :</u> **1.** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध सरकारी/सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; **या** (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में छह वर्ष नियमित सेवा की है, और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (डी पी सी) में (स्थायी किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) गृह मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (प्रशा.) गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले (उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा, को वेतन मैट्रिक्स में एक साधारण स्तर वाले एक ग्रेड में एक संशोधन पूर्व वेतनमान माना जाएगा और वहां यह लाभ केवल ऐसे पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.229.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Monitoring) in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Technical Officer (Monitoring) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in the PAY MATRIX— The number of posts, their classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. -No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer (Monitoring)	*01 (2012) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years' in

					accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the Age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and the closing dated prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- (i) Master's Degree in Economics/Commerce/ Mathematics/Statistics/Operation Research from a recognized University; (ii) 3 years' experience in compilation, presentation and analysis of Statistical data. **Desirable:-** (i) Diploma of one year in Disaster Management from a recognised University or Institution. (ii) Experience of handling matters connected with relief/food/scarcity relief operations. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note :2** The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates	Not applicable	Two years for direct recruits	By Deputation (ISTC)/absorption, failing which by Direct Recruitment.

belonging to the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Department Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation(ISTC)/Absorption: Officers under the Central Government/State Government/Union Territories/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised Research Institutions/Semi Government/Statutory or Autonomous Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) With three years' regular service in posts in Level-7 in the Pay Matrix; or (iii) With six years' regular service in posts in Level-6 in the Pay Matrix; and (b) Possessing the educational qualifications and experiences prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 56 years as on the closing dated of receipt of application. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (The date from which the revised pay structure based on Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to than one pre-revised scale of pay into one grade with a common LEVEL in the PAY MATRIX, and where this benefit will extend only for post(s) for which that LEVEL in the PAY MATRIX is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'B' DPC (for confirmation):-** 1. Director/Deputy Secretary (Administration), MHA : Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Pers-I), MHA : Member 3. Director/Deputy Secretary, (Disaster Management)MHA : Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.230.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन), भर्ती नियम, 2015 का, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों में निहित कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन)	05* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-10	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप संभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/गणित/ सांख्यिकी/ऑपरेशन अनुसंधान में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री; **अनुभव** किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय अथवा विश्वविद्यालय या कानूनी निकाय में साख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव **वांछनीय:** आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा और अनुतोष प्रचालन को संभालने का अनुभव **टिप्पण :1** अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण :2** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां।	एक वर्ष	20% सम्मिश्रित पद्धिति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रोन्नति] द्वारा 80% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आमेलन द्वारा, जैसा भी मामला हो: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी संगठनों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 वाले पदों अथवा समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग अथवा विभाग में उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है; **और** (ख)जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (डी पी सी) में (स्थायी किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए) :-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) गृह मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 1: वेतन मेट्रिक्स में लेवल-8 में दो वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले विभागीय तकनीकी अधिकारी (मॉनीटरिंग) पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति से भरा हुआ पद की समझा जाएगा। **टिप्पण 2 :** केवल केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र से पदधारियों के आमेलन के लिए विचार किया जाएगा। **टिप्पण** 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का वेतन मेट्रिक्स में सामान्य लेवल सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, तथा वहां इस लाभ को केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वेतन मेट्रिक्स में वह लेवल, बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मेट्रिक्स में तदनुरूपी लेवल में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (Disaster Management), Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Disaster Management), in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (Disaster Management), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, Level in the PAY MATRIX— The number of post, its classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Disaster Management)	05*(2015) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualificatios prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption ,grades from which promotion deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Education Qualification:- Master's Degree in Economics/ Commerce/Mathematic Statistics/Operations Research from a recognized University; **Experience:** Five years experience in compilation, presentation and analysis of Statistical data in a Government Office or Public Sector Undertaking or	Age: No Educational Qualification : Yes	One Year	20% by Composite Method {Deputation (including short-term Contract plus promotion)} 80% by Deputation (including short-term Contract)/Absorption failing which by direct recruitment.	By Deputation (including short-term Contract) plus promotion or as, the case may be: by Deputation (including short term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or a State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi

Autonomous Organization or Universities or Statutory Body. **Desirable:** Diploma in Disaster Management and experience in handling relief operations. **Note:1** The Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note:2** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.				Government Organizations or Statutory Organizations or Autonomous Organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** The Departmental Technical Officer (Monitoring) in Level-8 in the Pay Matrix with two years' regular service shall also be considered and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The officials from Central Government, State Government and Union Territories shall only be considered for absorption. **Note 3:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract)

				shall be not exceeding fifty-six year as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the Pay MATRIX extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common LEVEL in the Pay MATRIX and where this benefit will extend only for the post (s) for which that LEVEL in the Pay MATRIX is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Joint Secretary (Administration) : Chairperson 2 Joint Secretary (Disaster Management) : Member 3. Director/ Deputy Secretary (Admn.) : Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.231.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 2016 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984, में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखाकार (विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम)	06* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल 5 में अथवा समतुल्य पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-4 में अथवा समतुल्य पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखाकार में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिन्हें रोकड़ तथा लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है; अथवा जिन्होंने केन्द्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.231 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment Rules, 1984, namely:-

(i) These rules may be called the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs], Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment Rules, 1984, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection-cum Seniority or selection by merit or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972)	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Accountant (Foreign Contribution Regulatory Act)	06*(2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Level-6 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation / absorption, the Grades from which Promotion/Deputation / Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Deputation Officers under Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With six years regular service in posts in Level- 5 in the Pay Matrix or equivalent; or (iii) With ten years regular service in posts in Level- 4 in the Pay Matrix or equivalent; or (b) Who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and posses three year experience of handling cash and accounts work. OR A pass in the sub-ordinate Accounts service or equivalent examination conducted by any of the organized Accounts departments of the Central Government. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.232.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (तकनीकी)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयोजित पद्धति [प्रोन्नति सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा के साथ]

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
संयोजित पद्धति: 1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (ग) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल 6 में अथवा समतुल्य वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (घ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (क) (i) सांख्यिकी अथवा गणित (सांख्यिकी सहित) अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) अथवा गणित (सांख्यिकी सहित) अथवा संक्रिया अनुसंधान अथवा भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	पद को भरे जाने तथा इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध के आशोधन/ शिथिलता के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

इंजीनियरी (कंप्यूटर संबंधित विषय को छोड़कर) में स्नातक डिग्री या समकक्ष: (ii) कम्प्यूटर अथवा वर्ड प्रोसेसर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर पद दो वर्ष कार्य करने के अनुभव सहित डी ओ ई ए सी सी कार्यक्रम के अंतर्गत 'ओ' स्तर का डिप्लोमा अथवा समकक्ष: और (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा या समकक्ष में हिंदी एक विषय के रूप में; या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर इंजीनियरी अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिक स्नातक या समकक्ष; (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में; या 2. ऐसे विभागीय तकनीकी सहायक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन कर लिया है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में किसी अन्य काडर/बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.232 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987, namely:-

(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether selection post or Non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (Technical)	01* (2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Composite method [Deputation (including short -term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Composite method :- 1. Officers under Central or State Governments or Union Territories or recognized Research Institution or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous organizations :- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) With five years regular service in Level-6 in the Pay MATRIX or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: A. (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Commerce (with Statistics or Mathematics (with Statistics) or Operation Research or Physics or Bachelor's Degree in Engineering (other than computer related subject) from a recognized University or equivalent; (ii) 'O' Level Diploma under DOEA CC programmer or equivalent with two years experience in working with Computer or Word processor or other electronic equipment; (iii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or equivalent; or B. (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognized University or equivalent; (ii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or equivalent; or 2. The Department Technical Assistant with 8 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भर्ती नियम, 1986 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति:- 1. केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल 10 में अथवा समतुल्य वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (iii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-8 अथवा समकक्ष में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो (iv) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 अथवा समकक्ष में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त **विश्वविद्यालय** से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त **विश्वविद्यालय** से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; **वांछनीय:** राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव। 2. ऐसे विभागीय अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन की दशा में उक्त पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक संविदा सहित)/स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	पद को भरे जाने तथा इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध के आशोधन/शिथिलता के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Deputy Director (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, namely:-

(i) These rules may be called the Deputy Director (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Deputy Director (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether Selection post or Non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Implementation)	01* (2010) *subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 in the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Deputation/ promotion	**Deputation/ promotion:-** 1. Officers under Central Government:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in their parent cadre; or (ii) With five years' regular service in Level-10 the Pay MATRIX or equivalent; or (iii) With six years' regular service in Level-08 the Pay MATRIX or equivalent; or (iv) With seven years regular service in Level-07 the Pay MATRIX or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **ESSENTIAL:** (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized University or

				equivalent in Hindi with English as a subject at degree level. **DESIRABLE:-** One years experience in implementing the Official language Act, 1963 (19 of 1963) or policy. 2. The Departmental Research Officer (Implementation) with seven years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.234.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम न्याय विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. न्याय विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1977 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6 (क)
कनिष्ठ अन्वेषक	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच नोट 1:- सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की जा सकती है।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में डिग्री या समकक्ष। **वांछनीय:** सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए)	प्रोन्नति/स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: - (क) (i) जो सुझाव पद धारण किए हुए हों अथवा जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-4 वाले पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास कॉलम 7 में विहित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो। **नोट:** इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय कम्प्यूटर (वरिष्ठ) के बारे में भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन कर लिया जाता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। फीडर श्रेणी में विभागीय वरिष्ठ कम्पयूटर, जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हों, प्रतिनियुक्ति पर	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए विचार करने हेतु):-** उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) -अध्यक्ष सहायक विधि सलाहकार, न्याय विभाग -सदस्य अवर सचिव (प्रशासन ।) गृह मंत्रालय –सदस्य	लागू नहीं होता।

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत के उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6 (क)
कंप्यूटर (वरिष्ठ)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-4	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **नोट 1:-** सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की जा सकती है।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में डिग्री या समकक्ष। **वांछनीय:** सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित कार्य का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण:- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: - (क) (i) जो सुझाव पद धारण किए हुए हों अथवा जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-3 वाले पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास कॉलम 7 में विहित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत के उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए विचार करने हेतु):-** उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी) -अध्यक्ष सहायक विधि सलाहकार, न्याय विभाग –सदस्य अवर सचिव (प्रशासन I) गृह मंत्रालय –सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.234 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules further to amend the Department of Justice (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, namely:-

(i) These rules may be called the Department of Justice (Group 'C' posts) Recruitment (Amendments) Rules, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Justice (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1977, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)
Junior Investigator	01* *(2010) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the Pat Matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note 1:-** Upper age-limit relaxable for Government Servants up to 35 years.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: Degree of a recognized University or equivalent with Economics or Mathematics or Statistics as one of the subjects. **Desirable:** Two years experience in handling statistical data.	Age : No Educational Qualification : Yes	2 years (for direct recruits only)	Promotion/ transfer on deputation failing which by direct recruitment.	**Promotion/ transfer on deputation :-** Officers under the Central Government :- (a) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in Level-4 the Pay MATRIX; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7. **Note:** The Departmental Computer (Senior) with 5 years regular service in the grade will also be considered and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled up by promotion. The Departmental Senior Computer in the feeder category who is in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held

				immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation):- 1. Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.) : Chairman 2. Assistant Legal Adviser, Department of Justice : Member 3.Under Secretary (Ad.I), MHA : Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)
Computer (Senior)	01* *(2010) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the Pay Matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note 1:-** Upper age limit relaxable for Government Servants upto 35 years.	No

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: Degree of a recognized University or equivalent with Economics or Mathematics or Statistics as one of the subjects. **Desirable:** One year practical experience in handling statistical data.	Age : No Educational Qualification : Yes	2 years (for direct recruits only)	Transfer on deputation/ transfer failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation/ transfer :-** Officers of the Central Government :- (a) Holding analogous posts or with five years regular service in a post in Level-3 in the Pay MATRIX; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed in column 7. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years.)

12.	13.
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation):- 1. Deputy Secretary/Director, MHA (in-charge of Admn.) : Chairman 2. Assistant Legal Adviser, Department of Justice : Member 3.Under Secretary (Ad.I), MHA : Member	Not applicable

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR,Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.24 10:52:59 +05'30'